फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 217 जुलाई 2006

कहत कबीर

ईश्वर–अल्लाह–गॉड ने पृथ्वी चपटी बनाई–बताई। पृथ्वी का गोल होना धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाता है। विज्ञान मण्डी–मुद्रा का वाहक वाहन बना। विज्ञान का दमन–शोषण–विनाश का वाहन होना वैज्ञानिक भावनाओं को चोट पहुँचाता है।

मजदूरों को दिखाना ही नहीं (2)

गुत्थी उत्पादन छिपाने की..... चोरी में चोरी

✶ कभी- कभार के शोषण की बजाय नियमित शोषण ऊँच- नीच, अमीरी- गरीबी वाली समाज व्यवस्थाओं का आधार होता है। नियमित शोषण के लिये शोषण- तन्त्र आवश्यक होते हैं। और चूँकि शोषितों द्वारा शोषण का विरोध स्वाभाविक है, किसी भी शोषण- तन्त्र को नियमित दमन की आवश्यकता होती है। शास्त्र और शस्त्र की जुगलबन्दी के संग पृथ्वी पर दमन- तन्त्रों का श्रीगणेश हुआ। दमन- तन्त्र का ही दूसरा नाम, अधिक प्रचलित नाम सरकार है। ✶ दमन- तन्त्र की विशेषता यह है कि यह खर्चा माँगता है। सरकार के खर्च का आदि- स्रोत टैक्स हैं और हाथ उत्पादन के आदि- स्रोत, इसीलिये कर = हाथ, कर = टैक्स। अधिक समय नहीं हुआ, महलों- किलों में रहने वाले राजा- सामन्त सरकार थे और भूदासों से उपज का छठा हिस्सा (16⅔%) वसूलने का कानून था। आज विधायक- सांसद- अधिकारी वाली सरकार के खर्च की पूर्ति के लिये कुल उत्पादन व खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा लिया जाता है। सरकारों द्वारा उपज- खपत का लगभग 70 प्रतिशत विभिन्न प्रकार के टैक्सों के रूप में वसूलने के कानून हैं। ✶ भूदासों द्वारा अपनी उपज का 83⅓% रखना कानून अनुसार था। उत्पादकता में छलाँगें लगी हैं और आज मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका एक- दो प्रतिशत मजदूरों के हिस्से में आना कानून अनुसार है। बाकी के 98 प्रतिशत में शोषण- तन्त्र और दमन- तन्त्र में हिस्सा- बाँट होती है। ✶ कानूनी और गैर- कानूनी में चोली- दामन का साथ रहा है। प्रहरी, कोतवाल, मन्त्री द्वारा रिश्वत लेने के किस्से बहुत पुराने हैं। दरअसल दमन- तन्त्र रिश्वत की चर्बी के बिना चल ही नहीं सकते। इसलिये नगर- प्रान्त- देश के दायरों में कैद हो कर भ्रष्टाचार आदि को मूल समस्या मानना नादानी के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, गैर- कानूनी को मर्ज और कानून को दवा पेश कर कानून अनुसार दमन- शोषण को छिपाने का नुस्खा पुराना है, यह शुद्ध काँइयापन है। ✶ आज नई बात दमन- तन्त्र के संग- संग शोषण- तन्त्र में भी कानूनों का उल्लंघन, गैर- कानूनी कार्यों का बहुत- ही बड़े पैमाने पर होने लगना है। मण्डी- मुद्रा के साम्राज्य में कानूनों का यह अर्थहीन होना राजाओं- सामन्तों के अन्तिम चरण में कानूनों के अर्थहीन होने जैसा लगता है।

दिल्ली और इसे घेरे नोएडा, सोनीपत, बहादुरगढ, गुड़गाँव, फरीदाबाद में फैक्ट्रियों में कार्य करते 70- 75 प्रतिशत मजदूरों को अब दस्तावेजों में दिखाना ही नहीं को विलाप की वस्तु की बजाय नई सम्भावनाओं से ओत- प्रोत के तौर पर देखना बनता है।

मण्डी- मुद्रा की गतिक्रिया के चलते, मण्डी- मुद्रा के दबदबे के चलते कानूनी/गैर- कानूनी में हुई इस उलट- फेर की अनिवार्यता के सन्दर्भ में आइये किसानी- दस्तकारी की सामाजिक मौत/हत्या की प्रक्रिया से आरम्भ करें।

– इन दो- ढाई सौ वर्ष के दौरान दमन- तन्त्रों और शोषण- तन्त्रों में किसानी- दस्तकारी की सामाजिक मौत/हत्या को शक्ति- सम्पन्नता की सीढी के तौर पर लेने की आम सहमति उभरी है। विद्वानों, नीति- निर्धारकों ने किसानों- दस्तकारों की सामाजिक मौत को गति देने के उपायों पर माथा- पच्ची में दिन- रात एक किये हैं। किसानों- दस्तकारों के अड़ियलपन से पार पाने, सामाजिक मौत की धीमी रफ्तार से निपटने के लिये किसानी- दस्तकारी की सामाजिक हत्याओं के दौर पूरी पृथ्वी पर चले हैं, चल रहे हैं।

● शास्त्रीय उदाहरण के तौर पर इंग्लैण्ड में घटनाक्रम को ले सकते हैं। शक्ति की नई प्रतीक मुद्रा ने प्रभुओं को इस कदर चकाचौंध किया (मजबूर किया) कि सदियों से सेवा करते लगुये- भगुओं को उन्होंने झटक दिया और भूदासों की उपज का छठा हिस्सा सिक्कों की खनक के सम्मुख बेसुरा राग बना। मण्डी में ऊन बच कर पैसे प्राप्त करने के लिये भेड़- पालना, ... भेडों ने मनुष्यों को जमीनों से बेदखल किया!

● भौगोलिक और सामाजिक- ऐतिहासिक कारणों से सोना- चाँदी बरसाता दूरदराज वाला व्यापार अल्पकालिक वर्षा ही था। भूदासों से किसान- दस्तकार बने लोगों द्वारा मण्डी के लिये उत्पादन व्यापार के वास्ते सूखती नदी के समान था। ऐसे में विज्ञान के कन्धों पर सवार हो कर शोषण- तन्त्र की नई पद्धति, फैक्ट्री- पद्धति का आगमन हुआ।

● उत्पादन क्षेत्र में आरम्भ हुई फैक्ट्री- पद्धति को मजदूर चाहियें। शोषण की मात्रा में छलाँग लिये फैक्ट्री- पद्धति के निशाने पर किसान- दस्तकार आये और किसानी- दस्तकारी की सामाजिक मौत/हत्या का सिलसिला आरम्भ हुआ। इंग्लैण्ड में तबाह होते, तबाह किये जाते किसान- दस्तकार मजदूर बने, दुकानदार बने, दूर- दराज अमरीका- आस्ट्रेलिया जाने वाले- खदेड़े जाने वाले लोग बने। यह सिलसिला फिर यूरोप के पैमाने पर चला और आज संसार- व्यापी हो गया है।

● इंग्लैण्ड- यूरोप में तबाह किसानों- दस्तकारों से बने मजदूर फैक्ट्रियों में खप नहीं सके थे और बेरोजगारों की फौजें बन गई थी। विस्थापित हुये किसानों- दस्तकारों से अमरीका- आस्ट्रेलिया "भर" गये थे। तबाह किसानों- दस्तकारों में से दुकानदार बने लोगों को कुछ समय बाद खुदरा व्यापार में फैक्ट्री- पद्धति के प्रसार ने पुनः दिवालिया कर मजदूरों की कतारों में धकेल दिया। थोक के संग अब खुदरा व्यापार में कम्पनियों के प्रवेश द्वारा लाखों रोजगार पैदा करने की भारत में चर्चायें वास्तव में करोड़ के दायरे में दुकानदारों को तबाह कर लाख के दायरे में मजदूर लगाने की बातें हैं।

● आज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में सामाजिक मौत/हत्या से रूबरू किसान- दस्तकार मण्डी में बिकने के लिये आ रहे हैं। मण्डी में आई मनुष्यों की बाढ, आती ही जा रही मनुष्यों की बाढ ने माँग को औंधे मुँह कुए में गिरा दिया है। इसने खटने के लिये बदहवास होड़ को जन्म दिया है। लगता है कि दुनियाँ में कहीं भी जाने, किन्हीं परिस्थितियों में काम करने के लिये थोक में लोग उपलब्ध हैं। इसकी एक अभिव्यक्ति है दिल्ली और इसके इर्द- गिर्द क्षेत्र के 70- 75 प्रतिशत मजदूरों को दस्तावेजों में दिखाना ही नहीं। और, यह इन्हीं हालात में हो सकता है कि किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर उन्हें मजदूर बनाने को कोई नेता किसानों के हित में प्रचारित करे।

वैसे, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक आलोचना के अनुसार किसानी- दस्तकारी का विलोप होते जाना मजदूर लगा कर मण्डी के लिये उत्पादन वाली वर्तमान व्यवस्था की मौत की घण्टी बजना भी है। (जारी)

दर्पण में चेहरा-दर-चेहरा

चेहरे डरावने हैं.... आईना ही नहीं देखें या फिर हालात बदलने के प्रयास करें?

एस्को डाइकास्टिंग मजदूर : "प्लॉट 30 सैक्टर-4 स्थित फैक्ट्री में 57 कैजुअल वरकर, ठेकेदार के जरिये रखे 25 और 2-4 स्थाई मजदूर काम करते हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. सिर्फ स्थाई मजदूरों के हैं। एक्सीडेन्ट हो जाने पर कम्पनी आमतौर पर अनदेखा करती है। भट्टी पर एक मजदूर की टाँग जल गई तब मैनेजमेन्ट ने उसे उपचार के लिये मात्र 55 रुपये दिये और अगले दिन से काम करने को कहा – टेढी टाँग करके आओ, काम करो... फैक्ट्री यातना गृह है। कैजुअल वरकर की तनखा 2200 रुपये और ठेकेदारों के जरिये रखों की 1600-2000 रुपये। सेक्युरिटी गार्ड तथा टाइमकीपर का काम एक ही आदमी करता है और यह जनाब दादागिरी से किसी का आधा घण्टा तो किसी का एक घण्टा ओवर टाइम कम लिखता है। सुपरवाइजर से यह बताने पर ठीक कराने का आश्वासन मिलता है पर बात जस की तस रहती है। इस प्रकार महीने में ओवर टाइम के 8 से 12 घण्टे कम दिखाये जाते हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल दर से। सेक्युरिटी गार्ड-टाइमकीपर जैसा ही दुर्व्यवहार क्वालिटी इनचार्ज करता है। गाड़ी के साथ माल लादने आते वरकरों को बन्द कर यह साहब उत्पादन कार्य करते मजदूरों से गाड़ी में माल लदवाने भी लगा है। किसी परेशानी के कारण एक दिन काम पर नहीं पहुँचने पर अगले दिन बहुत झाड़ते हैं। फैक्ट्री में एक ही सफाई कर्मी है और उसके नहीं आने पर झाड़ू लगाओ, पौंछा लगाओ। कम्पनी ने स्वयं कहा था कि वर्दी देगी पर दी नहीं और अब कोई मजदूर वर्दी माँगता है तो नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं।"

व्हर्लपूल वरकर : "प्लॉट 28-29 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार **भारत विकास (इण्डिया) लिमिटेड** के जरिये रखे हम 250 मजदूरों के ई.एस.आई. व पी.एफ. थे। हर महीने हमारी तनखा में से 250-270 रुपये पी.एफ. के नाम से काटे जाते थे। हमें पता चला कि 1½-2 साल से भविष्य निधि कार्यालय में हमारा पी.एफ. जमा नहीं हो रहा। हम ने ठेकेदार कम्पनी से पूछा तो हमें बताया गया कि पैसा पूना में जमा है। गड़बड़ी की आशंका पर हम ने व्हर्लपूल मैनेजमेन्ट को ऊपर तक शिकायतें की। हमें कहा गया कि पी.एफ. की राशि हमें नगद बाँटी जायेगी। पर कितनी? और कब? व्हर्लपूल कम्पनी ने 11 जून को भारत विकास (इण्डिया) लिमिटेड का ठेका खत्म कर दिया और दूसरे ठेकेदार को ठेका दे दिया है। हमारे पी.एफ. के पैसे कौन देगा?"

बोनी पोलीमर्स मजदूर : "प्लॉट 37-पी सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हम 650 वरकर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। दिन की शिफ्ट में 3½ घण्टे को और रात में 4 घण्टे को ओवर टाइम कहते हैं – भुगतान सिंगल रेट से ही करते हैं। यह फैक्ट्री पहले सैक्टर-6 में ही प्लॉट 77 में थी और अब प्लॉट 37-पी में भी 3 साल हो गये हैं पर कोई मजदूर स्थाई नहीं है। दो ठेकेदारों के जरिये 300 वरकर रखे गये हैं। कम्पनी द्वारा स्वयं भर्ती 350 को कैजुअल वरकर कहा जाता है हालाँकि कई बरसों से लगातार काम कर रहे हैं। जब मर्जी हुई नौकरी से निकाल देते हैं। मशीनें चलाने वालों को भी कम्पनी हैल्पर कहती है। कैजुअल वरकरों की तनखा 2448 रुपये तथा ठेकेदारों के जरिये रखों की 2385 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. कैजुअलों में 100 के ही हैं, ठेकेदारों के जरिये रखों में 200 के। फैक्ट्री में रबड़ का काम होता है। हीरो होण्डा, मारुति, रेलवे के पुर्जे बनते हैं। बहुत आइटम बनते हैं – 800 के करीब डाई हैं। बात-बात पर सुपरवाइजर द्वारा गाली देना तो हम ने कदम उठा कर बन्द करवा दिया लेकिन अब भी रात 2-2½ बजे फैक्ट्री से बाहर कर देते हैं – कम्पनी कोई कार्ड नहीं देती और रास्ते में पुलिस परेशान करती है।"

जुनेजा ब्राइट स्टील वरकर : "प्लॉट 239 व 244 सैक्टर-24 स्थित कम्पनी में कार्य करते 200 मजदूरों में 20 की ही ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग व स्टेटिंग का काम है – एक्सीडेन्ट होने पर कम्पनी प्रायवेट में इलाज करवाती है। हैल्परों से मशीनें भी चलवाते हैं और तनखा 1800 रुपये। ड्युटी 12 घण्टे की है – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।"

रोजेटा टैक्सटाइल्स मजदूर : "14/5 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हम 250 मजदूर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। किसी के नहीं आने पर लगातार 36 घण्टे काम करना पड़ता है। तब कम्पनी रोटी के 20 रुपये देती है पर यह पैसे दो महीने बाद देती है। रोज 12 घण्टे काम पर 26 दिन के 3400 रुपये देते हैं। ई.एस.आई व पी.एफ. के महीने में 315 रुपये काटते हैं – ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं। मई की तनखा हमें आज 19 जून तक नहीं दी है। मुख्य कम्पनी ओखला में कर्नल ओवरसीज के नाम से है।"

कोविट इंजिनियरिंग वरकर : "प्लॉट 28 सैक्टर-59 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल दर से। हैल्पर की तनखा 2000 रुपये। ई.एस.आई. व पी.एफ. किसी की नहीं। मई माह में ई.एस.आई. विभाग ने छापा मारा था – मशीनों आदि की बातें लिख कर ले गये।"

हिमाँशु पैकिंग मजदूर : "प्लॉट 18 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 12 घण्टे की एक शिफ्ट है – ओवर टाइम का भुगतान तनखा की सिंगल दर से। हैल्पर की तनखा 1500 तथा ऑपरेटर की 2000 रुपये। तनखा में से ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते हैं। ई.एस.आई. कार्ड दिया है पर दवाई लेने जाते हैं तो ई.एस.आई. वाले दवाई नहीं देते और कहते हैं कि कम्पनी ने पैसे जमा नहीं किये हैं। भविष्य निधि कार्यालय भी कहता है कि कम्पनी पी.एफ. के पैसे जमा नहीं कर रही। फैक्ट्री में गत्ते बनते हैं। हमें मई की तनखा आज 16 जून तक नहीं दी है।"

फ्रेन्ज ऑटो वरकर : "प्लॉट 167 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1800 और वैल्डर की 2000 रुपये। फैक्ट्री में सुबह 8 से रात 8½ तक की 12½ घण्टे की शिफ्ट है और रात 1 बजे तक रोक लेते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में कनवेयर बनते हैं – लोहे के बड़े-बड़े पीस लगते हैं। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, कोई छुट्टी नहीं।"

टेक्निको ऑटो कम्पोनेन्ट्स मजदूर : "बुढिया नाले के पास मथुरा रोड़ पर स्थित फैक्ट्री में कहने को सुबह 8 से 4½ और साँय 4½ से रात 1 बजे की शिफ्ट हैं परन्तु मजदूर से रोज 16-18 घण्टे और स्टाफ वाले से 12 घण्टे काम करवाते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। कम्पनी कोई कार्ड अथवा गेट पास नहीं देती – रात को छूटने पर रास्ते में पुलिस परेशान करती है। फैक्ट्री में काम करते 350 मजदूरों की ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं पर तनखा में से 3% ई.एस.आई. के नाम से और 14% पी.एफ. के नाम से काट लेते हैं। बहुत जरूरी होने पर भी मैनेजमेन्ट एडवान्स नहीं देती। साहब गाली बहुत देते हैं।"

कानून.... (पेज तीन का शेष)

घण्टे की दो शिफ्ट। ओवर टाइम के पैसे सिंगल दर से। हैल्परों की तनखा 1800-1900 रुपये। फैक्ट्री में व्हर्लपूल का माल बनता है।"

क्लच ऑटो वरकर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में मई की तनखा 13 जून को देनी शुरू की थी और आज 17 जून तक सब मजदूरों को नहीं दी है।"

श्याम टैक्स इन्टरनेशनल मजदूर : "प्लॉट 4 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में निटिंग विभाग में 100 वरकर 12-12 घण्टे की दो शिफ्टों में काम करते हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. इन 100 में से 20 के ही हैं। निटिंग विभाग के मजदूरों का कहना है कि वर्ष में वेतन में 300 रुपये की वृद्धि तो होनी ही चाहिये। साहबों को बार-बार कहने के बावजूद कम्पनी ने दो साल से तनखा नहीं बढाई। इस पर 13 जून को निटिंग विभाग के मजदूरों ने काम बन्द कर दिया।"

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

कानून हैं शोषण के लिये
छूट है कानून से परे शोषण की

हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन : 8 घण्टे ड्युटी और साप्ताहिक छुट्टी पर महीने में अकुशल मजदूर को 2447 रुपये 32 पैसे; अर्ध - कुशल को 2557 रुपये 32 पैसे; कुशल मजदूर को 2707 रुपये 32 पैसे; उच्च कुशल मजदूर को 3007 रुपये 32 पैसे। आठ घण्टे काम के लिये अकुशल को 94 रुपये 13 पैसे; अर्ध- कुशल को 98 रुपये 36 पैसे; कुशल को 104 रुपये 13 पैसे; उच्च कुशल को 115 रुपये 67 पैसे। कृषि कार्य में 8 घण्टे काम के लिये कम से कम 95 रुपये 13 पैसे बिना भोजन के, 91 रुपये 13 पैसे भोजन के साथ।

सिकन्द लिमिटेड मजदूर: "61 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में अप्रैल की तनखा 28 मई को जा कर दी। मई का वेतन आज 15 जून तक नहीं।"

ऑटो लेक वरकर : "19/6- 1 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में इधर दो महीनों से 12- 12 घण्टे की शिफ्ट कर दी हैं। ओवर टाइम का भुगतान 23 रुपये 55 पैसे प्रति घण्टा के हिसाब से करते हैं।"

कनिष्क इन्टरनेशनल मजदूर : "प्लॉट 19 सैक्टर- 4 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1500 रुपये।"

नेशनल इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 21 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में 12 घण्टे की एक शिफ्ट है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्परों की तनखा 1800- 1900 और ऑपरेटरों की 2300- 2400 रुपये। तनखा में से ई.एस.आई. व पी.एफ. के नाम से पैसे काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते और नौकरी छोड़ने पर पी.एफ. राशि निकालने का फार्म कम्पनी नहीं भरती।"

शरद मैटल मजदूर : "सोहना रोड़ स्थित फैक्ट्री में 10 ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की तनखा 1500- 1600 रुपये – ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं।"

उषा (इण्डिया) वरकर : "12/1 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में अप्रैल की तनखा 10 जून को जा कर दी। मई का वेतन आज 17 जून तक नहीं दिया है।"

राजशी स्टेयरिंग मजदूर : "प्लॉट 3 सैक्टर- 27 सी स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की दिहाड़ी 60- 65 रुपये और रविवार को भी ड्युटी। फैक्ट्री में 11- 11घण्टे की दो शिफ्ट हैं – 2 घण्टे ओवर टाइम के बताते हैं पर भुगतान सिंगल रेट से करते हैं। फैक्ट्री में ही केबल कनेक्शन के पार्ट्स बनाते 15- 20 मजदूरों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है।"

सुपर फाइबर वरकर : "प्लॉट 57 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 10 घण्टे काम पर सरकार द्वारा 8 घण्टे के लिये निर्धारित कम से कम पैसे देते हैं। मैनेजमेन्ट साप्ताहिक छुट्टी के पैसे नहीं देती।" **(बाकी पेज दो पर)**

पूजा मैटल मजदूर : "104 सैक्टर- 6 स्थित फैक्ट्री में कार्य करते 100 मजदूरों में से 8 ही स्थाई हैं। कैजुअल वरकर की तनखा 1800 रुपये। सात ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों में हैल्परों की तनखा 1500 रुपये। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ड्युटी 12 घण्टे की – ओवर टाइम के पैसे सिंगल दर से।"

न्यूमैन इंजिनियरिंग मजदूर : "16/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 12- 12

दिल्ली..... **(पेज चार का शेष)**

गन्दे मजाक करता है, पानी- पेशाब का समय देखता है, भोजन अवकाश में भी तंग करता है। फैक्ट्री से छूटने के समय जाँच के नाम पर गार्ड हम महिला मजदूरों से बदतमीजी करते हैं। काम ज्यादा होने पर कम्पनी हम महिला मजदूरों को रात में भी रोक लेती है जिसकी वजह से घर में क्लेश बढ़ जाता है।"

इक्ती एन्थोनी मजदूर : "एक्स- 13 ओखला फेज-II स्थित फैक्ट्री में हम 45 वरकर पाइप फिटिंग का काम करते हैं। फैक्ट्री में चोटें लगती ही रहती हैं – हम में किसी की भी ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं हैं। प्रतिदिन 12 घण्टे काम के बदले महीने में हैल्परों को 1500- 2000 रुपये और कारीगरों को 3000- 3500 रुपये। फोरमैन गालियाँ देता है।"

ट्रक क्लीनर : "डी एस आई डी सी ओखला फेज-I स्थित **हिन्दुस्तान ट्रान्सपोर्ट** में क्लीनर को 24 घण्टे गाड़ी पर रहना पड़ता है। गाड़ी साफ करना, रस्सा- तिरपाल सम्भालना, टायर बदलना, माल लदवाना, गाड़ी खाली करवाना, चालान लाना, डीजल नापना, खाना बनाना, ड्राइवर के लिये शराब लाना, बर्तन साफ करना और.... और गाड़ी की रखवाली करना क्लीनर के काम हैं। तनखा है 2000 रुपये।"

न्यारे हुये लखानी जूते

एस्कोर्ट्स, बिड़ला समूह, रिलायन्स की ही तरह लखानी ग्रुप की कम्पनियों- फैक्ट्रियों को डायरेक्टर भाईयों ने आपस में निजी सम्पत्ति की तरह बाँट लिया है। कम्पनियों में लगे पैसों में औसतन 85 प्रतिशत पैसे बैंकों- वित्तीय संस्थाओं- बीमा- पेन्शन फण्ड से कर्ज के रूप में होते हैं – जमीन पर कर्ज (गिरवी), इमारतों पर कर्ज (गिरवी), मशीनों पर कर्ज (गिरवी), कच्चे माल- तैयार माल पर कर्ज। कम्पनी में लगा पन्द्रह प्रतिशत के करीब धन जो शेयरों से आता है उसके नाममात्र हिस्से वालों का कम्पनी के चेयरमैन- मैनेजिंग डायरेक्टर होना सामान्य बात है। फिर भी चेयरमैन- मैनेजिंग डायरेक्टरों को मालिक के तौर पर पेश किया जाना व्यापक है..... कई बन्दे मालिक की तरह व्यवहार भी करते हैं। वास्तव में अरबों- खरबों- पदम- नील के दायरे में कम्पनियों को लेने- देने के सौदों में लक्ष्मी निवास मित्तल जैसे लोग मात्र मुखौटे होते हैं जिनकी आड़ में बैंक- वित्तीय संस्थायें होती हैं। ऐसे माहौल में हेराफेरियाँ नित नई ऊँचाईयाँ- गहराईयाँ छूती हैं.... कम्पनियों का दिवालिया होना और चेयरमैन- डायरेक्टरों का "मालामाल" होना सामान्य है।

लखानी (इण्डिया) लिमिटेड मजदूर : "प्लॉट 265- 266 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री में जे सी बी मशीन से नींव की खुदाई और दिन- रात ताबड़तोड़ निर्माण कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक दीवार खींच दी – फैक्ट्री दो में बाँट दी गई। मैनेजमेन्ट में पहली मई से बँटवारा हो गया और डायरेक्टर भाईयों ने लखानी समूह की फैक्ट्रियों को आपस में बाँट लिया।

"प्लॉट 266 का नियन्त्रण बड़े भाई के हाथ आया है। यहाँ मुख्य उत्पादन एडिडास के लिये महँगे जूते व सैन्डल का है और संग में लखानी पेस नाम वाले जूते भी बनते हैं। यहाँ अब 1200 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं जिनमें 500 महिलायें हैं। महिला मजदूरों की रोज 10½ घण्टे की ड्युटी है – 2 घण्टे को ओवर टाइम बताते हैं, दस्तावेजों में दिखाते नहीं। अधिकतर पुरुष मजदूरों की ड्युटी सामान्यतः 12½ घण्टे है पर माल की माँग ज्यादा होने पर 16 घण्टे रोक लेते हैं, पूरी रात भी रोक लेते हैं। ओवर टाइम दिखाया नहीं जाता और भुगतान 14- 15- 16 रुपये प्रति घण्टा के हिसाब से किया जाता है। बँटवारे पर ओवर टाइम के घण्टों में भारी गड़बड़ी हुई – हम मजदूरों से साहबों ने कहा कि तुम ने रिकार्ड रखा है तो दिखाओ !

"प्लॉट 266 में जून के दूसरे सप्ताह में फैक्ट्री चमकाना जोर- शोर से चला। **एडिडास** कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा 21- 22 जून को जाँच की चर्चा। सप्ताह- भर पहले ही फैक्ट्री गेट पर तम्बाकू- बीड़ी की जाँच सख्ती से। कार्ड गले में डाल कर फैक्ट्री पहुँचना। कुछ मजदूरों की जेब से अग्निशमन कार्ड दिखना हालाँकि आग बुझाने का प्रशिक्षण कभी नहीं दिया। लाइन की रफ्तार धीमी रखी और काम बहुत सफाई से। मुँह पर माउथ पीस, मास्क। मशीनों की कई बार सफाई। फैक्ट्री में जगह- जगह रद्दी के लिये टोकरी –कागज का एक टुकड़ा तक इधर- उधर नहीं हो। कैन्टीन में खूब सफाई और चाय बढिया। फैक्ट्री में मजदूरों के लिये 6 जगह लैट्रीन- बाथरूम हैं, 3 महिला मजदूरों के लिये और 3 पुरुषों के लिये – चन्द रोज के लिये प्रत्येक में एक सफाई कर्मी, खूब सफाई। नये जनरल मैनेजर ने अलग- अलग समूहों में मजदूरों को एकत्र कर कहा कि तनखा बढायेंगे, कोई पूछे तो कहना कि ओवर टाइम काम नहीं होता...

"हम ने 21- 22 जून को जाँच वाले किसी को नहीं देखा। अब सब कुछ फिर पुराने ढर्रे पर आ गया है, कैन्टीन में चाय घटिया हो गई है। फैक्ट्री में चर्चा है कि जाँच वालों ने एक महिला मजदूर से पूछा तो उसने बता दिया कि ओवर टाइम काम होता है।"

हरियाणा रोडवेज

बस परिचालक : " हरियाणा रोडवेज में स्टाफ की भारी कमी है। कानून तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं की बात करता होगा पर हमें तो यहाँ रोटेशन में होते हैं तब एक महीने में 135 घण्टे ओवर टाइम करना पड़ता है और अन्यथा भी प्रतिमाह 80-90 घण्टे ओवर टाइम करना पड़ता है। समय पर छुट्टी नहीं मिलती – घर पर मृत्यु हो गई हो तब भी अधिकारी कहेगा कि एक चक्कर लगा आओ। ओवर टाइम का भुगतान भी बहुत देर से किया जाता है – 6 महीने का देय हो जाता है।

" कन्डक्टरों के लिये एक आफत मुफ्त यात्रा करने वालों का विवरण देने वाला फार्म भरना भी है। हरियाणा सरकार ने विधायक, सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, कारगिल युद्ध में मरे फौजियों की विधवा- माता- पिता- बच्चे, विकलांग और पुलिस को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी है। कन्डक्टर को यात्रियों की टिकट काटने के संग- संग निःशुल्क यात्रा करने वालों का विवरण भी फार्म में भरना पड़ता है। अन्य फ्री वालों से तो जैसे- तैसे निपट लेते हैं पर पुलिसवाले नाम नहीं बताते, पहचान- पत्र नहीं दिखाते। ऐसे में रोज फालतू में उलझना पड़ता है और बात बढने पर किसी पुलिसवाले से झड़प हो गई तो कन्डक्टर की सहायता करने की बजाय प्रशासन उल्टे उसे ही आरोप- पत्र थमा देता है। फ्री वालों के चक्कर में यात्रियों की टिकटें बनने से पहले कई बार अगला स्टॉप आ जाता है – इस दौरान उड़न दस्ते ने जाँच की तो कन्डक्टर दोषी करार दिये जाते हैं। और, हरियाणा रोडवेज में एक बस पर चालक व परिचालक, दो ही होते हैं जबकि मध्य प्रदेश परिवहन, उत्तर प्रदेश रोडवेज आदि में प्रत्येक बस पर तीन कर्मचारी होते हैं।

" सैम्पल और असल में भारी फर्क हमें वर्दी में झेलना पड़ता है। वर्ष में दो सामान्य वर्दी के लिये कपड़ा 800 रुपये का बताया जाता है पर वास्तव में 400 का भी मुश्किल से होगा। तीन वर्ष में मिलती एक ऊनी वर्दी का बिल 900 रुपये का और कपड़ा गुड़ के कट्टे जैसा होता है....

" चालक- परिचालक को बिना दोष के भी हरियाणा रोडवेज में सजा दी जाती है। यात्रा के दौरान अगर 400 किलो मीटर की दूरी तय करनी थी और 300 किलो मीटर तय करने के बाद गाड़ी खराब हो गई तो चालक- परिचालक अतिरिक्त परेशानी तो झेलें ही, उस दिन का ओवर टाइम भी काट लिया जाता है। साहब लोग इतने पर ही नहीं रुकते। बस खराब होने के लिये ड्राइवर व कन्डक्टर को पहले से ही दोषी करार दे कर सजा दे रखी है– दो अन्य दिनों में जो ओवर टाइम किया था उसके पैसे भी काटना। एक दिन बस खराब होने पर हरियाणा रोडवेज मैनेजमेन्ट कन्डक्टर व ड्राइवर का तीन दिन का ओवर टाइम काट लेती है।"

ग्रामीण डाक सेवा

डाक कर्मचारी : "केन्द्र सरकार की ग्रामीण डाक सेवा में साढे तीन लाख वरकर हैं – डाक लाने- ले जाने वाले ई डी आर, शाखा डाकपाल, पोस्टमैन। सरकार प्रत्येक को पार्ट टाइम वरकर कहती है – किसी की ड्युटी 3 घण्टे की और किसी की 5 घण्टे की बताई जाती है। जबकि ग्रामीण डाक सेवा में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के पास 3 से 5 गाँवों के कार्य का भार है। देहाती रास्ते, पैदल रास्ते के दृष्टिगत ऐसे में वास्तव में प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिदिन 8 से 10 घण्टे काम तो करना ही चाहिये। और, जहाँ 3 कर्मचारी थे वहाँ 2 करके काम का बोझ बढाया जा रहा है। बीस- तीस वर्ष से हर रोज 8 घण्टे से ज्यादा काम करते वरकरों को सरकार पार्ट टाइम ही कहती व रखती है – स्थाई नहीं करती। ग्रामीण डाक सेवा में कार्यरत साढे तीन लाख कामगारों को नौकरी के दौरान वर्दी नहीं, भत्ते नहीं, ओवर टाइम का भुगतान नहीं और रिटायर होने पर पेन्शन नहीं..... पर हाँ, साइकिल की मरम्मत के लिये सरकार 30 रुपये महीना देती है।"

वीटा दूध

हरियाणा डेयरी मिल्क प्लान्ट (बल्लभगढ)

मजदूर : " बिक्री के लिये दूध, दही, छाछ, घी तैयार करती फैक्ट्री में 50 स्थाई मजदूर और चार ठेकेदारों के जरिये रखे 250 वरकर काम करते हैं। पाँच- सात साल पुराने 4-5 वरकरों को छोड़ कर ठेकेदारों के जरिये रखे बाकी सब वरकरों को अप्रैल 06 तक महीने के तीसों दिन 8 घण्टे रोज काम के बदले 2000 रुपये देते थे – मई माह से 2100 रुपये। सिर्फ प्रयोगशाला में ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को साप्ताहिक छुट्टी देते हैं। बाकी विभागों में साप्ताहिक छुट्टी की माँग की तो नौकरी से निकालने की धमकी मिली। इस पर 15 मजदूर जनरल मैनेजर से मिले तो उन्होंने साप्ताहिक छुट्टी की बात तो नहीं कि पर आश्वासन दिया कि नौकरी से नहीं निकाले जायेंगे। ठेकेदारों के जरिये रखे 250 मजदूरों में से 20-25 की ही ई.एस.आई. व पी. एफ. हैं। एक्सीडेन्ट होते रहते हैं – भाप से जल जाते हैं, दबाव से ढक्कन उछलने पर चोट लगती हैं, मशीन से हाथ कट जाते हैं – लेकिन एक्सीडेन्ट दिखाये नहीं जाते, एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरी जाती। गर्मियों में जबरन ओवर टाइम पर रोकते हैं – लगातार 24-32-40 घण्टे तक काम करना पड़ता है। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। जहाँ 5-6 मजदूरों की जरूरत होती है वहाँ ठेकेदार 3 वरकर लगाते हैं। हाजिरी कार्ड नहीं, वेतन की पर्ची नहीं और हर महीने एक- दो हाजिरी की गड़बड़ करते हैं। बोनस नहीं देते। हाँ, जब कोई बड़ा अधिकारी दौरे पर आता है तब हमारे मुँह पर पट्टी, सिर में टोपी, दस्ताने, ऐपरन होते हैं – बाकी समय इनके दर्शन नहीं होते।"

बिना टिप्पणी के

✶ **सी.बी.आई. के पूर्व निदेशक जोगिन्दर सिंह :** "अपने कारनामों के कारण पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। इन्हीं कारनामों का नतीजा है कि आम आदमी अब पुलिस को अपराधियों के संगठित गिरोह से ज्यादा कुछ नहीं मानता।.... अगर आम जनता के पास चयन की सुविधा होती तो वह पुलिस को पूरी तरह नकार देती। आज जरूरत पड़ने पर भी शरीफ लोग पुलिस के पास जाने से कतराते हैं। .... पुलिस ने दिल्ली और आसपास ही नहीं, पूरे मुल्क में आतंक का राज कायम कर रखा है।" (न भा टा 1.7.06)

✶ **37 वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस** का उद्घाटन करते हुये 6.6.06 को **राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** ने भारत में पुलिस- जनता अनुपात का काफी कम बताते हुये कहा कि कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिये अगले 3 से 5 साल में पुलिसवालों की सँख्या दुगुनी की जाये।

वैसे, श्रीमान **वैज्ञानिक-राष्ट्रपति-अध्यापक** ने 18 मई 1974 को पोकरण में एटम बम के परीक्षण को अपनी जिन्दगी का सर्वश्रेष्ठ क्षण बताया। विस्फोट से धरती दहल गई थी और डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम व उनके मित्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। (न भा टा 7.6.06)

जो दनदनाते हैं हमारे श्वासों के कारण
उनकी अनैतिकताओं के लिये,
खून की स्याही दें? —धर्म सिंह, संगरूर

दिल्ली से -

8 घण्टे ड्युटी और साप्ताहिक छुट्टी पर महीने में अकुशल मजदूर को 3271 रुपये, अर्ध- कुशल श्रमिक को 3437 रुपये, कुशल मजदूर को 3695 रुपये दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन हैं। लिपिक एवं गैर- तकनीकी सुपरवाइजरी स्टाफ में मैट्रिक से कम के लिये 3464 रुपये, मैट्रिक पास परन्तु स्नातक नहीं के लिये 3719 रुपये, स्नातक एवं अधिक के लिये 4031 रुपये अब दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा हैं। दिल्ली में 8 घण्टे ड्युटी के बदले अकुशल मजदूर को 125 रुपये 80 पैसे, अर्ध- कुशल को 132 रुपये 20 पैसे, कुशल मजदूर को 142 रुपये 10 पैसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दिहाड़ी हैं।

ब्रिस प्रोसेस मजदूर : " 20/3 ओखला फेज-II स्थित फैक्ट्री में हम 150 वरकर छपाई का काम करते हैं। हम में से 50 को ठेकेदार के जरिये रखा है और उनकी ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं। कम्पनी द्वारा स्वयं भर्ती हैल्पर की तनखा 1500 रुपये।"

आनन्द इन्टरनेशनल वरकर : "डी-3 ओखला फेज-I स्थित फैक्ट्री में हमें रोज 12 घण्टे खड़े हो कर काम करना पड़ता है। खड़े- खड़े पैर सूज जाते हैं। सुपरवाइजर हम पर फिकरे कसता है, **(बाकी पेज तीन पर)**

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।